न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 2021/91

1 खुशी पुत्री स्व अरविन्द बिश्नोई उम्र 11 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी 20 बीडी तहसील खाजवूाला जिला बीकानेर हाल जरिये कुदरती वली माता अंजूबाला पत्नी पतराम जाति बिश्नोई निवासी मॉडल टाउन, गली नं0 2 सामने लूना नर्सिंग होम तहसील अबोहर जिला फाजिल्का .....प्रार्थीया

बनाम

1 जगदीश पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी 54 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद 20 बीडी तसहील खाजूवाला।

2 उप–पंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।

3 राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक : 22.3.22

उभयपक्ष गैरहाजिर प्रा0पत्र व जवाब पर गौर किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब में कहा है कि विवादित जमीन खरीदशुदा संपति है कि विवादित जमीन खरीदशुदा संपति है इसलिए प्रार्थी का उसमें कोई अधिकार नहीं बनता है। प्रार्थी में प्रा0पत्र में कहा है कि अप्रार्थी सं0 1 पंजाब, सीतोगुणों में स्थित जमीन का बेचानकर विवादित जमीन का भी बेचान करना चाहता है, जबकि विवादित जमीन पैतृक संपति है इसलिए इस जमीन में उसका हक निहित है। अदालत की राय है कि यह ईशू कि विवादिउत जमीन पैतृक है या स्वअर्जित और उस जमीन में प्रार्थी का हक है या नहीं प्रोपर जांच के बाद ही फैसल हो सकता है, इसलिए वाद के फैसले तक स्टेट्स क्यू कायम रखना जायज है।

लेकिन अदालत की राय में 21.9.16 को जारी किए गए स्थगन आदेश में संशोधन किया जाना जरूरी है क्योकि विवादित जमीन में प्रार्थीया का नोशनल शेयर 1/5 हिस्सा ही है। इसलिए तमाम जमीन पर स्थगन कायम रखना उचित नहीं है। इसलिए 21.9.16 को जारी स्थगन आदेश को निरस्त कर यह आदेश जारी किया जाता है कि विवादित आराजी चक 20 बीडी के मु0नं0 95/24 के किला नं. 6 ता 8 , 9 (10 बिस्वा), 11 से 13 कुल 6.10 बीघा तथा मु0नं0 96/33 के किला नं. 17 ता 25 की 15.10 बीघा जमीन के 1/5 हिस्से पर वाद के फैसले तक राजस्व रिकॉर्ड में स्टेट्स क्यू कायम रखा जाए। तहसीलदार खाजूवाला आदेश की पालना करवाएं।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)